संख्या- **3/2022/**235 /का-1-2022-13(1)/2022

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक 20 अप्रैल ,2022**

विषय:- पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु चयन की कार्यवाही दिनांक 30 सितम्बर, 2022 तक सम्पन्न कराया जाना।

महोदय,

अवगत कराना है कि 01 जुलाई, 2022 से चयन वर्ष 2022-23 प्रारंभ हो जायेगा। सरकारी सेवाओं में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष पूरे चयन वर्ष (01 जुलाई से 30 जून तक) चयन की बैठकें आयोजित की जाती रहती है। इससे पदोन्नति के पदों को भरने में अनावश्यक विलम्ब होने से जहां शासकीय कार्य प्रभावित होते है, वहीं दूसरी ओर संबंधित कार्मिकों को समय से पदोन्नतियां प्राप्त न होने के कारण उनके मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:-

2.1 चयन वर्ष 2022-23(01 जुलाई से 30 जून तक) की पदोन्नति से भरी जाने वाली समस्त रिक्तियों की गणना कर ली जाय।

2.2 विभागाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के ऐसे पदों जिन्हें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके कार्मिक विभाग के माध्यम से भरा जाना है, हेतु कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 4/2019/13(2)2007/का-1-2019, दिनांक 27.09.2019 सपठित शासनादेश संख्या- 5/2019/13(2)2007/का-1-2019, दिनांक 04.10.2019 में विहित प्रक्रिया/प्रारूप पर चयन का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को विलम्बतम् 31 जुलाई, 2022 तक अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। अन्यथा की स्थिति में, विलम्ब से प्रस्ताव प्रेषित किये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in/

जाने पर संबंधित विभाग के यथा स्थिति अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करना होगा।

2.3 ऐसे पदों जिनके सापेक्ष शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके चयन की कार्यवाही की जाती है, उन्हें दिनांक 30 सितम्बर, 2022 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

2.4 ऐसे पदों जिन पर विभागाध्यक्ष/अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा चयन की कार्यवाही की जाती है, उन्हें भी अभियानबद्ध तरीके से दिनांक 30 सितम्बर, 2022 तक पूर्ण कर लिया जाय।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चत न होने की दशा में संबंधित उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध उनके नियन्त्रक अधिकारी के स्तर से कार्यवाही भी सुनिश्चत की जाय।

भवदीय ,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

संख्या- 3/2022/235(1) /का-1-2022,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त विभागाध्यक्ष /प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष , उत्तर प्रदेश शासन |
(2) सचिवालय के समस्त अनुभाग |

आज्ञा से ,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।